

HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

"प्रभावी पैरवी कर अपहरण व हत्या के अभियोग में 04 अभियुक्त को आजीवन कारावास व ₹72,000 के अर्थदंड की सजा दिलाई गई।।"



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, **थाना कुरारा** में पंजीकृत **मु0अ0सं0- 180/2016 धारा–364,302,201 भा0द0सं0** में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में **मा0न्यायालय जिला/सत्र न्यायाधीश** जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्तगण 1.चांद मोहम्मद उर्फ चांदबाबू पुत्र अल्ला रैक्खू नि0 इस्लामाबाद थाना कदौरा जनपद जालौन 2.शैलेन्द्र सिंह उर्फ सन्नो सिंह पुत्र जयनारायण सिंह नि0 ग्राम व्यासपुरा थाना कदौरा जनपद जालौन 3.जितेन्द्र उर्फ जीतू पुत्र रामसेवक नि0 ग्राम अम्बेडकर नगर थाना कदौरा जनपद जालौन 4.मुल्लू सिंह पुत्र राजवीर सिंह नि0 ग्राम परौसा थाना कदौरा जनपद जालौन को आजीवन कारावास व ₹72,000 के अर्थदंड से दण्डित किया गया।



अभियोजक-डीजीसी श्री राजेश कुमार शुक्ला



विवेचक-निरी0 भगवती प्रसाद मिश्रा



पैरोकार- थाना कुरारा का0 रजनीश यादव